न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अ संख्या : 17/230

लटूरी बाई उर्फ लटूर पुत्री भैरूलाल उर्फ भैरू पत्नी श्री रतनलाल जाति माली निवासी मालियों का मोहल्ला कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायण पिता बिरधी लाल माता बिरधी बाई ।
2. रामभरोसी पिता बिरधीलाल माता बिरधी बाई जाति माली निवासीगण कनवास तहसील कनवास जिला कोटा ।
3. घनश्याम आत्मज श्री दनन्दलाल जाति माली निवासी राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. कालू आत्मज श्री नन्दलाल जाति माली ।
5. शंकर लाल आत्मज श्री नन्दलाल जाति माली ।
6. कैलाश आत्मज श्री नन्दलाल जाति माली (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   6/1. कमल नयन पुत्र कैलाश जाति माली ।
   6/2. अमन पुत्र कैलाश जाति माली
   6/3. सीमा पत्नी कैलाश जाति माली ।
7. जगदीश आत्मज श्री नन्दलाल जाति माली निवासीगण ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. पार्वती बाई पुत्री नन्दलाल पत्नी नन्दकिशोर जाति माली निवासी ग्राम देवली, ढिकोली तहसील कनवास जिला कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.03.208

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 सत्यनारायण व रामभरोसी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी कुल 09 क्विता की 4.03

क्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 2 से 7 के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्से में 1/4 हिस्से की व प्रतिवादी क्रम 2 से 7 के हिस्से में 1/4 हिस्से की भूमि दी जाकर विभाजन कर अलग खाता दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 8 को अमल दरामद करने हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने का आदेश पारित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 605 की 1.70 हैक्टर में से दक्षिण की ओर से 0.96 हैक्टर भूमि कसे वादीगण को बेदखल नहीं करे और न वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करे । उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान व खुर्द–बुर्द अनतरण नहीं करे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 के द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट की आपत्ति भी नहीं सुनी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य सही विभाजन नहीं किया है । अपीलान्ट को उक्त भूमि के टुकडे दिये हैं और सही भूमि वादीगण रेस्पोडेन्ट को दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरआरडी 1990 पेज 665 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

7. रेस्पोडेन्टगण के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई काउन्टर क्लेम आदि भी प्रस्तुत नहीं किया है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अपनी स्वीकृति दी थी और सहमति के आधार पर ही प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में किया गया है । अपीलान्ट ऐसा कोई साक्ष्य एवं

दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल पक्षकारान की सहमति के आधार पर ही निर्णय किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं हैं इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की बिना सहमति के आधार पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया विधि के सुस्थपित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वह वादग्रस्त आराजी पर जिस पक्षकार का कब्जा है उसे ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए थी ।

9. प्रस्तुत प्रकरण पक्षकारानर के विभाजन से सम्बन्धित है जिसमें अधीनस्थ न्यायलय को राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूवल भाग–2 के नियम 18 से 21 तक के प्रकिया का पालन करते हुए तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पक्षकारान के कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नियमों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने एवं सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूवल भाग–2 के नियम 18 से 21 तक के प्रकिया का पालन करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान दिनांक 23.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा